

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
गो0 ब0 पंत कृषि0 एवं प्रौ0 वि0वि0, पंतनगर

पत्राक संख्या : अ.छा.क/1768

दिनांक:—जनवरी, 31, 2022

सूचना

विषय:— मण्डी समिति छात्रवृत्ति केवल कृषि, मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिये

आपको अवगत कराना है कि हमारे पत्रांक संख्या अ.छा.क/1617 दिनांक 06.01.2022 द्वारा मण्डी समिति की छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं से आवेदन पत्र की मांग की गई थी। परंतु अंतिम तिथि तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। अतः आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक 20.02.2022 तक मण्डी समिति छात्रवृत्ति योग्य विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरकर इस कार्यालय में जमा करे। दिनांक 20.02.2022 तक यदि कोई आवेदन पत्र कार्यालय में जमा नहीं करते है तो विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 के चलते जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय छात्रावासों में नहीं है, उन्हें एडवाईजर/अधिष्ठाता अपने स्तर से विद्यार्थियों को सूचित करना सुनिश्चित करें।


उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र निम्न है।

1. कृषि उत्पादन मण्डी समिति प्रमाण-पत्र।
2. बैंक पासबुक।
3. आधार कार्ड।
4. अभिभावक का आधार कार्ड।
5. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
6. आय प्रमाण-पत्र।
7. खाता- खतौनी।
8. अभिभावक का कृषक परिचय-पत्र।
9. परिषद/विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा जिसे उत्तीर्ण किया हो, के प्राप्ताकों की प्रमाणित प्रति।
10. सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रतिलिपि।

प्रतिलिपि:—

1. अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता मत्स्य एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
2. कृषि महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सूचना पटों पर।
3. गॉधी भवन, सुभाष भवन, सरोजनी भवन, नेहरू भवन, मीनाक्षी भवन, सी०बी० प्रथम एवं द्वितीय के सूचना पटों पर।
4. कुलसचिव/वि०वि० पुस्तकालय/छात्र कल्याण विभाग के सूचना पट पर।
5. प्रभारी वि०वि० वेबसाइट को वि०वि० की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

संलग्नक : दातृवृत्त का आवेदन पत्र ।

  
(बृजेश सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड  
छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र

- अ. कृपया आवेदन पत्र संभाल कर भरें। प्रस्तुत करने के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति न होगी। यदि यह पाया गया कि कोई प्रविष्टि गलत है तो छात्रवृत्ति को तुरन्त रद्द किया जा सकेगा।
- ब. अधुरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- स. उत्तराखण्ड के लघु एवं सीमान्त कृषक/खेतीहार मजदूर के पुत्र/पुत्रियाँ ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं।

1.	पूरा नाम	
2.	आई.डी.नम्बर	
3.	महाविद्यालय का नाम	
4.	बैच	
5.	पिता का नाम	
6.	घर का वर्तमान पता	
7.	घर का स्थाई पता	
8.	निवास स्थान के मण्डी क्षेत्र का नाम	
9.	क्या छात्र लघु एवं सीमान्त कृषक/खेतीहार मजदूर के पुत्र/पुत्री है यदि हाँ तो सम्बन्धित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।	
10.	क्या पिता/अभिभवक उत्तराखण्ड का स्थाई निवास है।	
11.	क्या मण्डी क्षेत्र (जिसमें छात्र निवास करता है) में नियमन लागू हुआ है। सम्बन्धित मण्डी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।	

अन्तिम संस्था/कालेज का पूर्ण विवरण:

क्र. सं.	संस्था/कालेज का नाम	प्रवेश तिथि	छोड़ने की तिथि	वर्ष

12.	अन्तिम उत्तीर्ण परीक्ष का नाम	
13.	उत्तीर्ण करने का वर्ष	
14.	परिषद/वि०वि० का नाम जिसने छात्र की परीक्षा ली	
15.	अनुक्रमांक	
16.	कुल प्राप्तांक (वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों सहित यदि वे श्रेणी निर्धारण में जुड़ते हों)	
17.	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी	

18.	कुल योग के अनुसार प्राप्तकों का प्रतिशत	
19.	परीक्षा में प्राप्त स्थान	
20.	यदि प्रार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति/छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार/संस्था/व्यक्ति से प्राप्त हों तो उनका विवरण, मासिक दर तथा दिनोंक जब से छात्रवृत्ति प्राप्त की है, विवरण दें	
21.	आवेदन पत्र के साथ भेजे जा रहे संलग्नकों की विवरण यदि गेप है तो गेप का प्रमाण पत्र सेलग्न करें।	
22.	क्या अपने किसी अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है यदि हाँ तो छात्रवृत्ति का नाम तथा सम्बन्धित संस्था का नाम एवं पता	
23.	दूरभाषा/मोबाइल नं.	

(जो न भेज रहे हों उसे कृपया काट दें)

1. अन्य प्रमाण पत्र।
2. परिषद/विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा जिसे उत्तीर्ण किया हो, के प्राप्तकों की प्रमाणित प्रति।
3. प्रधानाचार्य/छात्र अधीक्षक का छात्रावास में रहने का प्रमाण पत्र।
4. स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में चयन की मैरिट प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए.।
5. अन्य कोई प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण सही है। मैं घोषणा करता/करती हूँ। कि यदि मेरा चयन इस छात्रवृत्ति हेतु होता है मैं अपना पूरा समय अध्ययन में लगाऊंगा/लगाऊंगी और अन्य किसी श्रोत से कोई छात्रवृत्ति नहीं लूंगा/लूंगी। मैंने कोई सूचना न तो छिपायी है। मैंने छात्रवृत्ति स सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें पढ़/समझ ली है।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

अधिष्ठाता की आख्या

श्री/श्रीमती/कु0/.....आई.डी.नं.....  
जो श्री.....के पुत्र/पुत्री है के बारे में प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें संस्था के.....पाठ्यक्रम में जो.....वर्ष का है, भर्ती किया गया है। वह छात्रावास में नहीं रहता/रहती है।

संस्तुति

अधिष्ठाता

सलाहकार

संस्था की मोहर

1. भूमि

अ. स्वतंत्र रूप से स्वामी की हैसियत से (यदि पूरी भूमि या उसका अंश पट्टेदारी/साझेदारी में उठा दी गई है तो इसके विवरण दें)

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

ब. संयुक्त रूप से स्वामी की हैसियत से

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

स. स्वतंत्र रूप से पट्टेदार/साझेदार की हैसियत से

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

2. अन्य सम्पत्ति एवं उनकी आय (मकान/अुकानें आदि)

क. मकान सं०

ख. गली/सड़क

ग. गांव/कस्बा/शहर

घ. क्षेत्रफल

छात्र के पिता/माता के हस्ताक्षर